

16

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश ग्वालियर

समक्ष : डा०मधु खरे

सदस्य

पुनरीक्षण प्रकरण क्रमांक 3745-तीन/2015 - विरुद्ध आदेश दिनांक  
29-5-2014 - पारित द्वारा अपर कलेक्टर जिला शिवपुरी  
- प्रकरण क्रमांक 128/2013-14 स्वमेव निगरानी

लाल साहव (मृतक) वारिसान  
श्रीमती भतरतकुमारी पत्नि महेन्द्र  
पुत्री स्व. लालसाहव निवासी ग्राम  
बिजयपुरा तहसील ईसागढ़ जिला  
अशोकनगर हाल तहसील बदरवास  
जिला शिवपुरी मध्य प्रदेश  
विरुद्ध

---आवेदक

म०प्र०शासन

--- अनावेदक

(श्री एम०पी०बरुआ अभिभाषक - आवेदक)

(श्री अनिल श्रीवास्तव अभिभाषक - अनावेदक )

आ दे श

(दिनांक २३ दिसम्बर, २०१५)

अपर कलेक्टर जिला शिवपुरी द्वारा प्रकरण क्रमांक  
128/2013-14 स्वमेव निगरानी में पारित आदेश दिनांक  
29-5-2014 के विरुद्ध मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 की  
धारा 50 के अंतर्गत यह निगरानी दिनांक 17-11-2015 को  
प्रस्तुत की गई है।

म

30/11/15

2/ प्रकरण का सारौंश यह है कि शासकीय पट्टेदारों की भूमियां कलेक्टर की बिना अनुमति के विक्रय वावत् गठित जांच समिति की रिपोर्ट पर ग्राम मझारी स्थित भूदान बोर्ड के पट्टे की भूमि सर्वे 159, , 160, 174, 175, 183, 273 कुल किता 6 कुल रकबा 1.66 हैक्टर (आगे जिन्हें वादग्रस्त भूमि अंकित किया गया है) चिन्दू पुत्र टुण्डा खँगार, दप्पी पुत्र दुर्जन, रघुनी पुत्र गमनी आदिवासी निवासी ग्राम मझारी तहसील बदरवास के नाम थी, जिसका विक्रय कलेक्टर शिवपुरी की अनुमति के बिना आवेदक के हित में पाये जाने से एंव जांच में भूमि लाल साहव पुत्र विक्रम सिंह यादव के नाम पाये जाने पर अपर कलेक्टर शिवपुरी ने स्वमेव निगरानी प्रकरण क्रमांक 128/2013-14 दर्ज कर पट्टाग्रहीताओं को एंव आवेदक को कारण बताओ नोटिस जारी किया, किन्तु कारण बताओं नोटिस का उत्तर बचाव में प्रस्तुत नहीं किया। अनुविभागीय अधिकारी कोलारस से प्रतिवेदन दिनांक 12.2.13 में एंव तहसीलदार बदरवास से प्राप्त प्रतिवेदन दिनांक 9-6-11 एंव 7-2-13 में बताया है कि बंदोवस्त अधिकार अभिलेख अनुसार वादग्रस्त भूमि चिन्दू पुत्र टुण्डा भूदान कृषक के नाम दर्ज है भूदान भूमि का पट्टाग्रहीता मर चुका है। उसके द्वारा भूमि का अंतरण लाल साहव पुत्र विक्रम सिंह के नाम किया गया है जिसकी अनुमति कलेक्टर से प्राप्त नहीं की गई। अतएव अपर कलेक्टर शिवपुरी ने आदेश दिनांक 29-5-14 पारित किया एंव पट्टेदार की भूमि कलेक्टर की अनुमति के बिना विक्रय होना पाकर पट्टेदार द्वारा पट्टे की शर्तों का पालन न करने से संहिता की धारा 165 के अंतर्गत विक्रय पत्र शून्य घोषित करते हुये भूमि शासकीय मद में दर्ज करने के आदेश दिये। इसी आदेश के विरुद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में दिनांक 17-11-2015 को प्रस्तुत की गई है।

1



- 3/ उभय पक्ष के अभिभाषकों के निगरानी के ग्राह्यता पर तर्क सुने तथा प्रस्तुत अभिलेख का अवलोकन किया गया।
- 4/ आवेदक के अभिभाषक ने उन्हीं तथ्यों को दोहराया है जो उन्होंने निगरानी मेमो में तथा अवधि विधान की धारा-5 में अंकित किये हैं। अनावेदक शासन के अभिभाषक ने निगरानी आदेश दिनांक 29-5-14 के विरुद्ध दिनांक 17-11-15 को प्रस्तुत करने, आदेश की जानकारी के दिनांक वावत् साक्ष्य सहित प्रस्तुत नहीं करने तथा आदेश की नकल प्राप्त होने पर भी निगरानी विलम्ब से प्रस्तुत करने का तर्क देते हुये अवधि-वाह्य होना बताते हुये निरस्त करने की मांग रखी।
- 5/ अवधि विधान की धारा-5 के तथ्यों के अवलोकन से पाया गया कि अपर कलेक्टर शिवपुरी का आदेश दिनांक 29-5-14 को पारित हुआ है आदेश की जानकारी 1-8-15 को बताई गई परन्तु उसके समर्थन में कोई प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया। इसके अतिरिक्त भी निगरानी प्रस्तुत करने में हुआ विलम्ब इसलिये भी क्षमा योग्य नहीं है क्योंकि आवेदक को अपर कलेक्टर शिवपुरी के आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि 7-8-15 को आवेदन देने पर दिनांक 14-8-15 को प्राप्त हुई। दिनांक 14-8-15 से निगरानी प्रस्तुत करने के दिनांक 17-11-2015 के बीच की अवधि 3 माह से अधिक समय के दिन-प्रतिदिन का हिसाब आवेदक के अभिभाषक नहीं दे सके एवं अन्य प्रकार से समाधान भी नहीं करा सके। अतएव निगरानी अवधि-वाह्य प्रस्तुत होने के कारण गुणदोष पर विचार किये बिना इसी-स्तर पर समाप्त की जाती है।



(डॉ० मधु खरे)  
सदस्य  
राजस्व मण्डल  
मध्य प्रदेश ग्वालियर